राजस्थान सरकार

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डां. गुंजन सोनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 13/2023 GCMS No.2023/80

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

1. सुखदेव पुत्र मालाराम जाति माली निवासी साकरणा बालोतरा (मैसर्स माजीसा ट्रेडर्स,कृषी मण्डी के सामने चारण समाज छात्रावास के पास बालोतरा) 6375935959

2.हितेश कुमार कानूभाई ठक्कर प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स कृष्णा इण्डिस्ट्रिज,श्री गोपालश्वर महादेव मंदिर के पास जिआईडीसी डीसा (385535) मो.7016072320

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थित

1. अभियोजन अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी (गैर सायल) सुखदेव पुत्र मालाराम जाति माली निवासी साकरणा बालोतरा स्वयं उपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा (राज.)

–ःआदेशः–

दिनांकः– **11.06.2025**

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा **51** खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी सुखदेव पुत्र मालाराम जाति माली निवासी साकरणा बालोतरा (मैसर्स माजीसा ट्रेडर्स,कृषी मण्डी के सामने चारण समाज छात्रावास के पास बालोतरा)** के दौरान विक्रय हेतु रखा हुए खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **कुल 500 एमएल** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1722** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड मिल्कीओ** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड मिल्कीओ** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S. / 1521 / Act / 2022 / 1522 दिनांक 23.08.2022 में The sample of Ghee (Milko Brand) bearing Code No. and Sr.No. P-1722 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is <u>unsafe Food</u> under section 3(1) (zz) (iv) of Food Safety and Standard Act-2006.** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

1. **अप्रार्थी** को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी खाद्य पदार्थ निर्माता की और से स्वयं** उपस्थित। **अप्रार्थी** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थी** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी** से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत **L.S. / 1521 / Act / 2022 / 1522 दिनांक 23.08.2022 में The sample of Ghee (Milko Brand) bearing Code No. and Sr.No. P-1722 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is unsafe Food under section 3(1) (zz) (iv) of Food Safety and Standard Act-2006** पाया गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत होने पर **अप्रार्थी** को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थी** स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी** से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। **अप्रार्थी** द्वारा उक्त नमूना **घी ब्राण्ड मिल्कीओ The sample of Ghee (Milko Brand) bearing Code No. and Sr.No. P-1722 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is unsafe Food under section 3(1) (zz) (iv) of Food Safety and Standard Act-2006** पाया गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **घी ब्राण्ड मिल्कीओ Unsafe Food** का पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थी** के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्म प्रमाणित है।
2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा **51** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थी** पर **रुपये 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थी** उक्त जुर्माना राशि का **बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-चालान – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा** के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

3. आदेश दिनांक **11.06.2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(seal: न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ★ बालोतरा (राज.))

(डॉ गुंजन सोनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा